

### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ħ. 480

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2000/भाद्र 27, 1922

No. 480 1

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2000/BHADRA 27, 1922

# विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ( कंपनी कार्य विभाग ) अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 727 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 94 (अ), तारीख 26 फरवरी, 1997 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के बारे में के सिवाय, उस अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3), धारा 59 की उपधारा (1), धारा 63, धारा 68, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (2ख), धारा 113 की उपधारा (2) और धारा 207 के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों को, प्राधिकृत करती है:—

### अधिकारियों के नाम

- 1. श्री ए. चन्द्र शेखर राव
- 2. श्री शरद बानसोडे
- श्री के.आर. सी.वी. सेशाचलम
- श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय
- श्री डी. राजेश कुमार
- 6. श्री कृष्णानन्द राघवन
- 7. श्री जयन्त जश
- श्रीमती बारनाली मुखर्जी
- 9. श्रीमती जी.वी. चित्रा
- 10. श्री बीज एस.
- 11. श्री अमित प्रधान
- 12. श्री शरद के. शर्मा

[फा. सं. 3/16/96-सी.एल. V] ए. रामास्वामी, संयक्त सचिव

# MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Company Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18 September, 2000

G.S.R. 727(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and in supersession of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) Notification number G.S.R. 94 (E) dated 26th February, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the following officers of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) for the purposes of that sub-section in respect of offences punishable under sub-section (3) of section 56, sub-section (1) of section 59, section 63, section, 68, sub-section (2) and (2B) of section 73, sub-section (2) of section 113 and section 207 of that Act:—

#### Name of the Officers

- Shri A. Chandra Sekhar Rao
- 2. Shri Sharad Bansode
- 3. Shri K.R.C.V. Seshachalam
- 4. Shri Sudip Bandyopadhyay
- Shri D. Rajesh Kumar
- 6. Shri Krishnanand Raghavan
- 7. Shri Jayantha Jash
- 8. Smt. Barnali Mukherjee
- 9. Smt. G.V. Chitra
- 10. Shri Biju S.
- 11. Shri Amit Pradhan
- 12. Shri Sharad K. Sharma

[f. No. 3/16/96-CL. V] A. RAMASWAMY, Jt. Secy.